उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
अधिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
म्बरः—90/2018 प्रार्थना पत्र

कुमार पिता घनश्याम सुनार, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा न)
-----प्रार्थी

बनाम

श पिता घनश्याम सुनार, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा
धन्नी पत्नि भैरूलाल जाट, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा
मंजु पत्नि रामेश्वर सुथार, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा(राजस्थान)
तू उर्फ सत्यनारायण पिता रामेश्वर सुथार, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला ड़ा (राजस्थान)
रूलाल पिता घीसा लुहार, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
-----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः—15.3.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सुवाणा पटवार ाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1047/3 रकबा 15 बिस्वा भूमि नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने प्रदान फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 16.4.2018 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये पक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे त्रावली किये गये । विपक्षीगण संख्या 1 उपस्थित । विपक्षी संख्या 1 जवाब हेतु अवसर चाहते र दिया जाता हैं। विपक्षी संख्या 2, 3, 4, व 5 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे त्रावली किये गये। विपक्षी संख्या 2, 3, 4 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 2, 3 व 4 को कितनी विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 22.10.2018 तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया। विपक्षी संख्या 5 के सम्मन बाद प्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षी संख्या 5 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् लाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 6.3.2019 को एक तरफा किये जाने का आदेश पारित किया गया। विपक्षी संख्या 6 का सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। मेल पत्रावली किये गये। विपक्षी संख्या 6 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 11.3.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का रित किया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा ी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के वीकार किया जाकर ग्राम सुवाणा पटवार हल्का सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित राजी नम्बर 1047/3 रकबा 15 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने देश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, सुवाणा को रूपये (दौ सौ पचास रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर र्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 15.3.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner